फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं0 29 सन् 2025
रमेश चन्द.....बनाम..... सचिन पॅवार आदि

दिनांक 18.02.2025 दाण्डिक प्रकीर्ण पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता के तर्क पूर्व में सुने जा चुके हैं।

प्रार्थी रमेश चन्द ने वर्तमान प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 173 (4) बी.एन.एस.एस. के प्राविधान में विपक्षीगण सचिन पॅवार एंव फहीम अहमद के विरूद्ध इन अभिकथनो के साथ प्रस्तुत किया गया है कि '' प्रार्थी दिंनाक 09.12.2024 को समय क रीब 12:00 बजे दिन में नसीब , चौधरी भोपाल सिंह को साथ लेकर नगर पंचायत फलावदा के कार्यालय में गये और तीनों ने अपना परि चय विपक्षी सं0–1 को कराया और प्रार्थी ने साप्ताहिक पैठ बाजार लगने वाले ठेकेदार द्वारा अधिक वसूली का सरेनामा लिये जाने के संबंध में कहा तो विपक्षी सं0–1 ने गरम आवाज में देने से मना किया। प्रार्थी ने सवाल किया तो जोर जोर से गंदी गंदी गालियां देकर चमार–चमटटा ,गिटटल जैसे जातिसूचक शब्दो का उपयोग करते हुऐ कार्यालय के मौजूद कर्मचारियो को बुलाकर प्रार्थी को जबरदस्ती धक्का देकर और प्रार्थी के दोनों व्यक्तियो को बुरा–भला व गलत भाषा का प्रयोग करते हुऐ कहा कि यहां कोई सरेनामा नहीं है और जो ठेकेदार वसूली कर रहा है, वो देना ही पडेगा, चूंकि ठेका मंहगा ले रखा है, इतना ही नही लिपिक फहीम अहमद से धक्का देकर बाहर निकाल दिया और धमकी दी कि यदि दोबारा यहां आये तो झूठा मुकदमा लिखवाकर जेल भिजवा दूंगा। इस संबंध में थाना फलावदा को एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई उसके उपरान् त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को प्रार्थना पत्र प्रेषित कया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की। अतः विपक्षीगण के विरूद्ध थाने पर उचित धाराओ में मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश पारित करने की याचना की गयी। प्रार्थी ने स्वंय का शपथ पत्र, चौ0 भोपाल एंव नसीम का शपथ ,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को भेजे गये प्रार्थना पत्र की छाया प्रति, जाति प्रमाण पत्र ,आधार कार्ड, जांच पर्ची आदि की छाया प्रति,दाखिल की है।

सुना एंव पत्रावली का अवलोकन किया।

थाने की आख्या के अनुसार प्रार्थना पत्र में उल्लिखित घटना के सम्बन्ध में थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। प्रार्थी विपक्षीगण को जानता व पहचानता है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन प्रार्थी के संज्ञान में है प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना कराये जाने का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। अतः माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **रामबाबू प्रति उत्तर प्रदेश राज्य 2001 (43) ए.सी.सी. 50 (पूर्ण पीठ)** में प्रतिपादित विधि व्यवस्था के आलोक में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाना न्यायोचित् प्रतीत होता है। तद्नुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 173 (4) बी.एन.एस.एस. परिवाद मामले के रूप में चलाये जाने योग्य है। धारा 223 बी.एन.एस.एस. के परन्तुक के अनुसार संज्ञान से पूर्व विपक्षीगण को भी सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

विपक्षीगण को नोटिस दिनांक दिनांक 04.03.2025 के लिये निर्गत किया जाए। परिवादनी पैरवी अंदर 3 दिन करें।

विशेष न्यायाधीश, (एस.टी./एस.टी. एक्ट)
मेरठ।

This is uncertified copy for information/reference. For authentic copy Please refer to certified copy only.